न्यायालय जिला कलक्टर एवं द्वितीय अपीलेट अधिकारी

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **02/2018 अपील लो.से.गा.**

उनवान

श्री दौलतराज नागोडा अधिवक्ता निवासी तहसील रोड आसीन्द जिला भीलवाडा **बनाम**

1. तहसीलदार बदनोर (पदाभिहीत अधिकारी) ,
2. उपखण्ड अधिकारी बदनोर (प्रथम अपील अधिकारी)

––अपीलार्थी **––प्रत्यर्थी**

द्वितीय अपील राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारण्टी अधिनियम 2011 अन्तर्गत धारा 6(4)

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 29.10.2018

अपीलार्थी की ओर से यह द्वितीय अपील राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 अन्तर्गत धारा 6(4) तहसीलदार बदनोर व उपखण्ड अधिकारी बदनोर के विरूद्ध दिनांक 04.07.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(4) के अन्तर्गत एक आवेदन दिनांक 26.12.2017 को तहसीलदार बदनोर को प्रस्तुत किया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा पदाभित अधिकारी के विरूद्व प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी बदनोर के यहां की गयी।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 04.07.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी बदनोर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 26.12.2017 को तहसीलदार बदनोर को आवेदन पत्र राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर बदनोर के प्रकरणों जो आवदेन के पेरा 01 से 07 तक में वर्णित उनवान की डिक्रीयों की पालना रिपोर्ट मय जमाबन्दी की नकल प्रमाणित चाही गयी। तहसीलदार बदनोर द्वारा उक्त नकले अपीलार्थी को उपलब्ध नही कराये जाने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी बदनोर को दिनांक 18.01.2018 को प्रस्तुत की। जिसके प्रकरण सं. 01/18 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बदनोर में दर्ज होकर दिनांक 27.04.2018 के निर्णित की गयी जो इस प्रकार हैं–**"अपीलार्थी ने राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 अन्तर्गत धारा 6(4) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी तहसीलदार बदनोर को दिनांक 26.12.2017 को प्रेषित किया। तहसीलदार बदनोर द्वारा अपीलार्थी को चाही गयी वांछित सूचना समय पर नही दी गयी, जिससे प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बदनोर में की गयी। अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज की प्रतियां प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् तहसील कार्यालय बदनोर से दी गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार बदनोर एवं संबंधित शाखा**

इन्चार्ज को हिदायत की जाती है कि भविष्य में राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अधिनियम के प्रावधान अनुसार पावती रसीद उसी समय दी जावे। प्रतिलिपि शुल्क आदि जमा नही कराया है तो इसके लिए निश्चित समयावधि में ही सूचित कराया जावे।''

प्रथम अपील अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बदनोर के निर्णय दिनांक 27.04.2018 के अनुसार वांछित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2018 को प्रेषित की। जिसे दिनांक 04.07.2018 को पंजीबद्ध कर तहसीलदार बदनोर को नोटिस जारी किया। तहसीलदार बदनोर ने पत्रांक/भू.अ./2018/605 दिनांक 19.07.2018 को जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है– **''वर्तमान में तहसील बदनोर का सेग्रीगेशन कार्य पूर्ण होकर तहसील ऑनलाईन हो चुकी है। अतः तहसील क्षैत्र में सभी नामान्तरकरण ऑनलाईन ही दर्ज किये जा रहे हैं। नामान्तरकरण ऑनलाईन दर्ज करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया सॉफ्टवेयर नया होकर इसमें सुधार की प्रकिया जारी है। पूर्व में यदि किसी खाते में रहन दर्ज हो तो ऐसे खातों पर विभाजन के नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पा रहे थे। अतः न्यायालय से प्राप्त बंटवारा आदेशों का भी नामान्तरकरण दर्ज करना संभव नही हो पा रहा था। अतः इस बाबत् एन.आई.सी. जयपुर से संपर्क कर सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार हेतु निवेदन किया गया। एन.आई.सी. जयपुर द्वारा आवश्यक सुधार करने के पश्चात् अब इस प्रकार के नामान्तरकरण दर्ज कर दिये गये है। इसी कम मे प्रार्थी के मूल आवेदन के बिन्दु सं. 1 से 5 में नामान्तकरण दर्ज हो चुके है जो निर्णित होते ही प्रार्थी को नियमानुसार वांछित प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जायेगी।''**

प्रत्यर्थी तहसीलदार बदनोर के पत्रांक/भू.अ./2018/605 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रेषित जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी को नामान्तकरण निर्णित होते ही प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जायेगी। अतः अपीलार्थी के अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एव प्रत्यर्थी को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 29.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा